सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 689 राँची, शुक्रवार, 14 श्रावण, 1938 (श०) / 5 अगस्त, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

8 जुलाई, 2016

<u>कृपया पढ़ेः-</u>

1. लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 4461, दिनांक 13 नवम्बर, 2013

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं०-6332, दिनांक 19 जून, 2014 एवं संकल्प सं०-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015

3. श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-292/2015, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015

संख्या- 5/आरोप-1-26/2016 का.-5747-- श्रीमती शालिनी विजय, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला- बोकारो), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित माननीय लोकयुक्त, झारखण्ड के न्यायालय में दायर परिवाद सं०-01/लोक(पेयजल)-01/2012- अख्तर हुसैन खान, अधिवक्ता, राँची बनाम श्री संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक

31 अक्टूबर, 2013 की प्रति अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4461, दिनांक 13 नवम्बर, 2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया ।

माननीय लोकायुक्त द्वारा आदेश में लोकायुक्त अधिनियम की धारा-12(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्रीमती शालिनी विजय, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, सम्प्रति- कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची (2) श्री परमानन्द बासिल कुमार डांग, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों एवं (3) श्री लियाकत अली, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा किया गया है । मा० लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में उक्त पदाधिकारियों के विरूद्ध विभाग स्तर पर प्रपत्र- 'क' का गठन किया गया है ।

प्रपत्र- 'क' में श्रीमती शालिनी विजय के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित है:-

1. मो० अख्तर हुसैन खान, एडवोकेट, निवासी ग्राम- चोरेया, थाना- चान्हों, राँची द्वारा माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड के न्यायालय में शपथयुक्त परिवाद दाखिल किया गया है, जिसमें सरकारी सेवाकों के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत चान्हों प्रखण्ड के पंचायतों में बिना असैनिक कार्य कराये कार्यकारी एजेंसी, आनन्द प्रोडक्शन सेन्टर एवं आनन्द विकास संस्थान ग्राम- चोरेया, थाना- चान्हों को गैर कानूनी ढंग से भुगतान कर सरकारी पैसों का दुरूपयोग एवं बन्दरबाँट करने का अभिकथन किया गया है । परिवाद पत्र में परिवादी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि:-

(i) प्रकल्प एन०जी०ओ० जो शहीद चौक, खूँटी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक परिसर, शहीद चौक मेन रोड, राँची द्वारा चान्हों प्रखण्ड के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा करवाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही घटिया एवं उपयोग के लायक नहीं है तथा संबंधित एन०जी०ओ० एवं उत्पादन केन्द्रों द्वारा लाभुकों से अंशदान के रूप में ली गई राशि रू० 300/- की प्राप्ति रसीद भी नहीं दी गई है ।

(ii) चान्हों प्रखण्ड के चोरेया पंचायत में कार्यकारी एजेंसी आनन्द प्रोडक्शन केन्द्र के द्वारा लक्ष्य से बहुत कम शौचालय का निर्माण किया गया है तथा जो भी शौचालय का निर्माण किया गया है उसमें भी बड़े पैमाने पर अनियमितता एवं घोटाला किया गया है । चोरेया ग्राम- में आनन्द प्रोडक्शन केन्द्र के द्वारा जो थोड़ा बहुत काम करवाया गया है, वह बिल्कुल ही घटिया स्तर का है तथा वह लाभुकों के उपयोग के लायक भी नहीं है । ऐसी स्थिति में जो कुछ भी थोड़ा बना है वह उपयोग के लायक भी नहीं है ।

(iii) ऐसे व्यक्तियों का शौचालय भवन के साथ फोटो खिंचकर जमा कर दिया गया है, जिसका शौचालय न तो बनाया गया है और न ही उन्हें इस बात की जानकारी ही है । इस प्रकार से कार्यपालक अभियंता-सह-सदस्य सचिव, प्रकल्प एवं कनीय अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा चान्हों, राँची की मिलीभगत से तथा आनन्द प्रोडक्शन सेन्टर एवं आनन्द विकास संस्था चोरेया, चन्हों के मिलीभगत से करोड़ रूपये सरकारी रूपयों का गबन, फर्जी बिल बनाकर बन्दरबाँट किये हैं ।

(iv) चान्हों प्रखण्ड के सभी 17 पंचयातों में बने शौचालय का नींव भी नाम मात्र का ही खोदा गया है तथा दीवार की मोटाई पाँच इंच है, जिसपर बहुत कम मात्रा में सिमेन्ट से चौड़ाई कर पूर्ण कर दिया गया है, जो अधिकतर गिर गया है । चोरेया पंचायत के ठेकेदार एवं आनन्द प्रोडेक्शन

सेन्टर तथा आनन्द विकास संस्था के मालिक श्री छेदी साहु, पिता- स्व० महावीर साहु, निवासी ग्राम- चोरेया, थाना- चान्हों, जिला- राँची, झारखण्ड जिसका संस्था निबंधित नहीं है, ने अधुरा निर्माण कराकर ही शौचालय के उपर घटिया किस्म के एस्बेस्टस को वहाँ से पुनः उतारकर दूसरे शौचालय में लगाये हैं यानि कही पर शौचालय में एस्बेस्टस लगाया गया है तो कही पर खाली खाली है तथा उसी स्थिति में खुला छोड़ दिया गया है ।

(v) चान्हों प्रखण्ड में शौचालय निर्माण में प्राक्कलन के आधार पर जो राशि आवंटित की गई है, उसका सदुपयोग न होकर कम राशि लगाकर निर्माण कराया गया है। एन०जी०ओ० ''प्रकल्प'' एवं उनके कार्यपालक अभियंता- सह सदस्य सचिव एवं कनीय अभियंता (श्री उमेश कुमार) पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा चान्हों तथा आनन्द प्रोडक्शन सेन्टर एवं आनन्द विकास संस्था के मालिक श्री छेदी साहु के मिलीभगत से सरकारी पैसों का दुरूपयोग एवं बन्दरबाँट किया गया है ।

(vi) आनन्द प्रोडक्शन सेन्टर एवं आनन्द विकास संस्था बिना निबंधन होने के बावजूद भी उसे रू० 1,72,41,000/- का काम दे दिया गया एवं उसमें से गलत एवं नाजायज ढंग से अभियंताओं की मिलीभगत से फर्जी बिल बनाकर रू० 96,25,200/- का भुगतान कर दिया गया गया है ।

(vii) शौचालय निर्माण में बिल्कुल ही कच्चा एवं खराब क्वालिटी का ईंट एवं खराब सीमेन्ट तथा घटिया पैन लगाया गया है तथा एस्बेस्टस को दो भाग में काटकर नाम मात्र का कहीं-कहीं पर ढक दिया गया है, जिसके कारण सभी शौचालय उपयोग के लायक भी नहीं रह गया है ।

(viii) ग्रामीण इलाकों में नाम मात्र के लोगों को ही बी०पी०एल० परिवारों को बहुत कम व्यक्तियों को ही लाभ पहुँचाया गया है और नियमों का उल्लंघन किया गया है ।

2. प्राप्त परिवाद में लगाए गए आरोपों पर विचारोपरान्त माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा उपायुक्त, राँची से प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई । उपायुक्त, राँची द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि परिवाद पत्र में लगाए गए आरोपों की जाँच अपर समाहर्त्ता, नक्सल, राँची-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, चान्हों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों से कराई गई। अपर समाहर्त्ता, नक्सल, राँची-सह- वरीय प्रभारी पदाधिकारी, चान्हों द्वारा उप विकास आयुक्त, राँची को समर्पित अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि:-

(i) चान्हों प्रखण्ड में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत् बी०पी०एल० परिवारों के लाभ हेतु घरेलू शौचालयों के निर्माण में इकाई लागत रू० 1500/- जो बाद में 2009 में बढ़कर रू० 2500/- रूपया कर दी गई तथा जिसमें लाभार्थियों को अंशदान रू० 300/- रखा गया परन्तु इसकी लाभार्थियों के बीच जानकारी का आभाव पाया गया जब कि यह योजना पूर्णतः लोक भागीदारी पर आधारित योजना है। इस प्रकार चान्हों प्रखण्ड में इस योजना के कार्यान्वयन में जनसहभागिता, प्रचार-प्रसार, योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई है तथा प्रखण्ड स्तर पर अनुश्रवण समिति के क्रियाशील नहीं रहने के कारण आनन्द प्रोडक्शन सेन्टर और आनन्द विकास संस्था के सर्वेसर्वा श्री छेदी साहु एवं उनके पुत्र ने मनमाने ढंग से बड़े पैमाने पर बिना लाभार्थियों की पसंद-नापसंद जाने व बिना उनके यथेष्ट लोक सहभागिता के लाभार्थियों का फोटो खिचवाकर तथा तीन-तीन सौ रूपये अंशदान की राशि पहले ही बिना रसीद निर्गत किए प्राप्त कर शौचालय के विभिन्न अवयवों को प्राक्कलन के विशिष्टियों की अनदेखी कर फिक्स कर दिया । इस संदर्भ में काफी बड़ी संख्या में लाभार्थियों द्वारा भी बताया गया कि शौचालय पूर्ण करार दिया गया है, परन्तु प्राक्कलन के

विशिष्टियों के अनुसार नहीं बनाए जाने के कारण शौचालय उपायोग में नहीं लाया जाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त काफी बड़ी संख्या में शौचालय आधे अधूरे पड़े हुए पाए गए । कुछी ऐसे भी लाभार्थी थे, जिन्होंने शिकायत की कि उन्होंने शौचालय निर्माण स्वयं कराया है, जबकि श्री छेदी साहु ने सिर्फ पैन उपलब्ध कराया है । ग्राम पंचायत चोरेया के कई ग्रामों व टोलों में दो-तीन साल पहले सिर्फ मॉडल ii (लागत रू० 1200 + रू० 300) के तहत् जलबंद लगा पैन (गोलाकर) की आपूर्ति श्री छेदी साहु के द्वारा की गई है, जबकि ये संरचनायें काफी बड़ी संख्या में यत्र-तत्र कई ग्रामों में लावारिस स्थिति में बेकार पड़ी है तथा इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है ।

(ii) आनन्द विकास संस्था निबंधित संस्था है, परन्तु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा एकरारनामा आनन्द प्रोडक्शन सेन्टर के साथ किया गया जबकि कार्य दोनों के द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा था । चोरेया पंचायत अन्तर्गत स्थल भ्रमण में चार छः शौचालयों को छोड़ तथा शेष में शौचालयों के उपर छप्पर/छत तथा समने दरवाजा/बोरा/टाटा का परदा नहीं पाया गया ।

(iii) कार्यपालक अभियंता पेयजल राँची पूर्वी एवं कनीय अभियंता, चान्हों प्रशाखा द्वारा आलोच्य अवधि में कुल 9458 शौचालायों का निर्माण हुआ है । कुल 1174 अदद् शौचालय तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा बनाया गया है एवं 950 अदद् शौचालय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चान्हों द्वारा बनाया गया है । 828 शौचालय विभाग स्तर से बनाए गए है। सिर्फ 1710 शौचालयों का निर्माण आनन्द प्रोडक्शन सेन्टर एवं आनन्द विकास संस्था द्वारा किया गया है । इतने बड़े पैमाने पर कथित निर्माण कार्य की प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति के सदस्यों से बिना जाँच कराए एवं काफी संख्या में प्रखण्ड समन्वयक् (Coordinator) से भी बिना स्थल जाँच कराए ही कनीय अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा चान्हों द्वारा अनुशंसा कर राशि की निकासी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सह सदस्य सचिव प्रकल्प द्वारा बिना मामले की सम्पुष्टि कराए ही किया गया, इस प्रकार बड़ी सरकारी राशि के दुरूपयोग/अपव्यय से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कनीय अभियंता चान्हों प्रशाखा द्वारा भी एक विस्तृत सूची 755 लाभुकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने स्वयं काफी बड़ी संख्या में शौचालय के उपयोग में नहीं लाए जाने/कचरा भरा होने/दीवार धंसा हुआ होने/पैन टूटा हुआ होने/गढ़ा नहीं होने आदि के कारणों की सम्पुष्टि/स्वीकारोक्ति की है ।

(iv) दिनांक 10 फरवरी, 2012 को स्थल भ्रमण के पश्चात् चान्हों प्रखण्ड से सभी पंचायत में अद्यतन रूप से निर्मित शौचालयों की स्थिति से यह परिलक्षित हुआ कि प्रतिवेदनों पर स्थानीय मुखिया, स्थानीय वार्ड सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है एवं काफी लाभार्थियों द्वारा भी हस्ताक्षरित कराया गया है । शेष प्रतिवेदन बिना हस्ताक्षर के ऐसे ही लाभार्थियों के नाम के सामने वस्तुस्थिति दर्शाते हुए उपलब्ध कराया गया है ।

3. उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन कार्यपालक अभियंता-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन ''प्रकल्प'', राँची, तत्कालीन कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, चान्हों एवं तत्कालीन प्रखण्ड समन्वयक, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, चान्हों के विरूद्ध लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1)(क) के तहत नोटिस निर्गत करने तथा शौचालय निर्माण में संलग्न चान्हों प्रखण्ड की अन्य एजेंसियों तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चान्हों एवं अन्य एन०जी०ओ० आदि के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन तथा आरोपी

आनन्द प्रोडक्शन सेन्टर के विरूद्ध की गई कृत कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश उपायुक्त, राँची को दिया गया ।

4. उक्त आदेश के आलोक में उपायुक्त, राँची जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि मामले की जाँच उप विकास आयुक्त, राँची की अध्यक्षता में दस विभिन्न जाँच दलों का गठन करते हुए किया गया । दस जाँच दल में से नौ जाँच दलों द्वारा चान्हों प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों का स्थल भ्रमण कर शौचालय निर्माण की जाँच की गई, जिसमें जाँच दल एवं पंचायतवार वस्तुस्थिति निम्नवत पाई गई:-

"पंचायत करकट:- पंचायत करकट के ग्राम रानीचाँचों, सोनचीपी, करकट एवं करकट का टोला विजूपाड़ा/बहेराटोली में शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच उप विकास आयुक्त, राँची की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा की गई है, जिसका ग्रामवार ब्योरा निम्नवत् है:-

रानीचाँचों:- इस ग्राम में कुल 29 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 29 योजनाओं का कार्य प्रकल्प द्वारा विभागीय रूप से मॉडल प्राक्कलन 2200+300=2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है ।

इसी प्रकार इस ग्राम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित एक योजना की जाँच की गई । योजना का कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300=2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है ।

सोनचीपी:- इस ग्राम में कुल 36 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 36 योजनाओं का कार्य प्रकल्प द्वारा विभागीय रूप से मॉडल प्राक्कलन 2200+300=2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है, किन्तु इनमें से एक योजना प्राकृतिक आपदा के कारण से क्षतिग्रस्त हो गई है, जाँच के दौरान लाभुक द्वारा बताया गया। ग्रामीणों द्वारा पूछताछ में यह बताया गया कि इन सभी शौचालय का निर्माण कार्य लगभग दो से तीन वर्ष पूर्व कराया गया है ।

करकट:- इस ग्राम में कुल 16 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 16 योजनाओं का कार्य प्रकल्प द्वारा विभागीय रूप से मॉडल प्राक्कलन 2200+300=2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है, किन्तु इनमें से एक योजना प्राकृतिक आपदा/अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों द्वारा पूछताछ में यह बताया गया कि इन सभी शौचालय का निर्माण कार्य लगभग दो से तीन वर्ष पूर्व कराया गया है ।

करकट-बहेराटोली:- इस टोला में कुल एक योजना की जाँच की गई । उक्त योजना का कार्य प्रकल्प द्वारा विभागीय रूप से मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है, जाँच के दौरान लाभुक द्वारा बताया गया । ग्रामीणों द्वारा पूछताछ में यह बताया गया कि इन शौचालय का निर्माण कार्य लगभग दो से तीन वर्ष पूर्व कराया गया है । इस प्रकार इस ग्राम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित एक योजना की जाँच की गई । योजना का कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है ।

करकट- टोला विजुपाड़ा:- इस ग्राम/टोला में कुल 17 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 17 योजनाओं का कार्य प्रकल्प द्वारा विभागीय रूप से मॉडल प्राक्कलन 2200+300=2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है, किन्तु इसमें से दो योजना प्राकृतिक आपदा/अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त

हो गई है । जाँच के दौरान लाभुक द्वारा बताया गया । ग्रामीणों द्वारा पूछताछ में यह बताया गया कि इन सभी शौचालय का निर्माण कार्य लगभग दो से तीन वर्ष पूर्व कराया गया है ।

इस ग्राम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित दो योजनाओं की जाँच की गई। योजना का कार्य मॉडल प्राक्कलन (लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है ।

इस प्रकार चान्हों प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत करकट के पाँच ग्राम/टोला में कुल 104 शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच की गई है, जिसमें से 100 योजनाएँ पूर्ण कराई गई, किन्तु 100 शौचालय की संरचना वर्तमान में मौजूद है एवं शेष चार शौचालय प्राकृतिक आपदा/अन्य कारणों से वर्तमान में क्षतिग्रस्त है ।

जाँच के दौरान ग्रामीणों द्वारा पूछताछ में यह बताया गया कि इन सभी शौचालय निर्माण का कार्य लगभग एक से तीन वर्ष पूर्व कराया गया है । जाँच की गई पूर्ण शौचालय निर्माण की योजनाओं में से कुछ का उपयोग लाभुकों द्वारा किया जा रहा है एवं कुछ का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके संबंध में जो तथ्य सामने आये हैं, उसके अनुसार योजना स्थल पर पानी का आभाव, जागरूकता की कमी, निर्मित शौचालय का सही ढंग से रख-रखाव नहीं होना, प्राक्कलित राशि आवश्यकता के अनुरूप नहीं होना, दरवाजा का प्रावधान प्राक्कलन में नहीं होना आदि है ।

पंचायत रघुनाथपुर/लुण्डरीः- पंचायत रघुनाथपुर के ग्राम-मन्दिरटोला, फलवाडीह एवं कोको तथा पंचायत लुण्डरी के ग्राम सुकुरहूटू एवं लुण्डरी कुल पाँच ग्राम/टोला में शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच निदेशक, एन०ई०पी० की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा की गई है, जिसका पंचायतवार/ग्रामवार ब्योरा निम्नवत् है:-

ग्राम पंचायत रघुनाथपुर

मन्दिरटोला:- इस ग्राम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा क्रियान्वित चार योजनाओं की जाँच की गई । सभी चार योजनाओं का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है, किन्तु वर्तमान में शौचालय निर्माण की संरचना मौजूद नहीं पायी गयी ।

फुलवाडीह:- इस ग्राम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा क्रियान्वित कुल छः योजनाओं की जाँच की गई । इनमें से चार योजनाओं का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है, किन्तु वर्तमान में शौचालय निर्माण की संरचना मौजूद नहीं पायी गया ।

इस ग्राम में नेस्डो संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 28 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 28 योजनाओं का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है एवं संरचना मौजूद है ।

कोको:- इस ग्राम में नेस्डो संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 22 योजनाओं की जाँच की गई । इन 22 योजनाओं में से 18 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है, शेष तीन योजना अपूर्ण है एवं एक योजना क्षतिग्रस्त हो गयी है ।

ग्राम पंचायत लुण्डरीः-

लुण्डरी:- इस ग्राम में जोहार संस्था द्वारा क्रियान्वित 20 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 20 योजनाओं का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है एवं संरचना मौजूद है ।

सुकुरहूटू:- इस ग्राम में जोहार संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 33 योजनाओं की जाँच की गई । इनमें से 29 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया, शेष चार योजनाएँ अपूर्ण है ।

इस प्रकार चान्हों प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत रघुनाथपुर एवं लुण्डरी के पाँच ग्राम/टोला में कुल 113 शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच की गई है, जिसमें से 95 योजनाएँ पूर्ण पाई गई, एक योजना क्षतिग्रस्त है, 7 योजनाएँ अपूर्ण है तथा 10 योजना की संरचना वर्तमान में मौजूद नहीं पायी गई ।

पंचायत चटवल:- पंचायत चटवल के ग्राम पकरियो, चटवल एवं मसमानो कुल तीन ग्राम/टोला में शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा की गई है, जिसका ग्रामवार ब्योरा निम्नवत् है:-

पकरियो:- इस ग्राम में नेस्डो संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 20 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 20 योजनाओं का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है ।

इस ग्राम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित 12 याजनाओं की जाँच की गई । इनमें से 3 योजनाओं का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 600+300=900 (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है ।

इस ग्राम में बालि विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित एक योजना की जाँच की गई। उक्त योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300=1500 (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है ।

चटवल:- इस ग्राम में नेस्डो संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 11 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 11 योजनाओं का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण पायी गयी है ।

मसमानो:- इस ग्राम में नेस्डो संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 11 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 11 योजनाओं का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है, शेष तीन योजना अपूर्ण है एवं एक योजना क्षतिग्रस्त हो गयी है ।

इस प्रकार चान्हों प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत चटवल के तीन ग्राम/टोलों में कुल 62 शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच की गई है, जिसमें से 53 योजनाएँ पूर्ण एवं एक योजना क्षतिग्रस्त पायी गयी है, शेष योजनाएँ अपूर्ण है ।

पंचायत तरंगा:- पंचायत तरंगा के ग्राम हर्रा, लेप्सर, सोपारम, टांगरटोली, तरंगा, नावाघर कुल पाँच ग्राम/टोला में शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच ॠतु राज, परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा की गई है, जिसका ग्रामवार ब्योरा निम्नवत् है:-

हर्रा:- इस ग्राम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 9 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 9 योजनाओं का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था। सभी 9 योजनाएँ अपूर्ण पाई गई ।

इस ग्राम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 2 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 2 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था। उक्त दोनों योजनाएँ अपूर्ण पाई गई ।

लेप्सर:- इस ग्राम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल एक योजना की जाँच की गई । उक्त योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था। उक्त योजना अपूर्ण पाई गई ।

इस ग्राम में बाल विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 17 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 17 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था। उक्त सभी योजनाएँ अपूर्ण पाई गई ।

सोपारम:- इस ग्राम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 5 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 5 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था। सभी 5 योजना अपूर्ण पाई गई ।

इस ग्राम में बाल विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 13 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 13 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था । उक्त सभी 13 योजनाएँ अपूर्ण पाई गई ।

टांगरटोली:- इस ग्राम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 14 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 14 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था, जिसमें चार योजनाएँ पूर्ण एवं 10 योजनाएँ अपूर्ण पाई गई ।

तरंगा नवागढ़:- इस ग्राम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 18 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 18 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था। उक्त सभी 18 योजनाएँ अपूर्ण पाई गई ।

इस ग्राम में बाल विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 11 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 13 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था। उक्त सभी 11 योजनाएँ अपूर्ण पाई गई ।

इस प्रकार चान्हों प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत तरंगा के पाँच ग्राम/टोलों में कुल 90 शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच की गई है, जिसमें से 47 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा एवं 43 योजना का क्रियान्वयन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कराया गया है । उक्त 90 योजनाओं में से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा क्रियान्वित मात्र चार योजना ही पूर्ण है, शेष सभी 86 योजनाएँ अपूर्ण पायी गयी है ।

पंचायत टांगर:- पंचायत टांगर के ग्राम- बंजांग, विजुपाड़ा एवं हुटार कुल तीन ग्राम/टोला में शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मांडर की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा की गई है, जिसका ग्रामवार ब्योरा निम्नवत् है:-

बेजांग:- इस ग्राम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 16 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 16 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है ।

बिजुपाड़ा:- इस ग्राम में बाल विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 4 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 4 योजनाओं का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है ।

हुटार:- इस ग्राम में नेस्डो संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 19 योजनाओं की जाँच की गई । सभी 19 योजनाओं का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराया गया है ।

इस प्रकार चान्हों प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत टांगर के तीन ग्राम/टोलों में कुल 39 शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच की गई है, जिसके विरूद्ध सभी 39 योजनाएँ पूर्ण पाई गई है ।

पंचायत सिलागाई:- ग्राम पंचायत सिलागाई के ग्राम सिलागाई, नौदी, हुरहुरी कुल तीन ग्राम/टोला में शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच अंचल अधिकारी, मांडर की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा की गई है, जिसका ग्रामवार ब्योरा निम्नवत है:-

सिलागाई:- इस ग्राम में रूरल डेवलपमेंट संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 11 योजनाओं की जाँच की गई। सभी 11 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण पायी गयी है ।

इस ग्राम में बाल विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 4 योजनाओं की जाँच की गई। सभी 4 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण पायी गयी है ।

इस ग्राम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा क्रियान्वित कुल 4 योजनाओं की जाँच की गई। सभी 4 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण पायी गयी है ।

नौदी:- इस ग्राम में रूरल डेवलपमेंट संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 12 योजनाओं की जाँच की गई। सभी 12 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण पायी गयी है ।

हुरहुरी:- इस ग्राम में रूरल डेवलपमेंट संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 18 योजनाओं की जाँच की गई। सभी 18 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण कराई गई, जिसमें से 2 योजना में क्षतिग्रस्त है ।

पंचायत पतरातु/चोरेया:- पंचायत पतरातु के ग्राम पतरातु एवं तुरीटोला तथा ग्राम पंचायत चोरेया हरिजन टोला एवं टेम्पोटोला कुल चार ग्राम/टोला में शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच अंचल अधिकारी, बेड़ो की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा की गई है, जिसका ग्रामवार ब्योरा निम्नवत है:-

पतरातु:- इस ग्राम में नेस्डो संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 13 योजनाओं की जाँच की गई, जिसमें 8 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण पायी गई, 4 योजना वर्तमान में क्षतिग्रस्त है एवं 7 योजना में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है ।

तुरीटोला:- इस ग्राम में नेस्डो संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 15 योजनाओं की जाँच की गई, जिसमें 4 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण पायी गई, 4 योजना वर्तमान में क्षतिग्रस्त है एवं 7 योजना में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है ।

ग्राम पंचायत चोरेया:-

हरिजनटोला:- इस ग्राम/टोला में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 8 योजनाओं की जाँच की गई, जिसमें 5 योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण पायी गई, एक योजना क्षतिग्रस्त है एवं दो का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ।

टेम्पाटोली:- इस ग्राम/टोला में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चान्हों द्वारा क्रियान्वित कुल 14 योजनाओं की जाँच की गई, जिसमें सभी योजना का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर पूर्ण किया जाना था, किन्तु उक्त 14 योजनाओं में कोई कार्य नहीं पाया गया है ।

इस प्रकार चान्हों प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत पतरातु एवं चोरेया के चार ग्राम/टोलों कुल 50 शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच की गई है, जिसके विरूद्ध 17 योजना पूर्ण पाई गई, 9 योजना वर्तमान में क्षतिग्रस्त है एवं 24 योजना में कोई निर्माण कार्य नहीं पाया गया है ।

ग्राम पंचायत रोल:- पंचायत रोल के ग्राम गुटुवा, कदमटोली, नवाटोली, चारो एवं पंचायत चामा के ग्राम चामा एवं चण्डीस्थान कुल छः ग्राम/टोलों में शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुड़मू की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा की गई, जिसका ग्रामवार ब्योरा निम्नवत् है:-

गुटूवा:- इस ग्राम में कार्य एजेंसी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों के द्वारा श्री छेदी साहू की संस्था के माध्यम से क्रियान्वित कुल 18 योजनाओं की जाँच की गई, जिसमें 3 योजना का निर्माण कार्य पूर्ण पायी गयी एवं 15 योजनाएँ अपूर्ण है । उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) एवं 625/- पर कराया जाना था ।

कदमटोली:- इस ग्राम में कार्य एजेंसी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों के द्वारा श्री छेदी साहू की संस्था के माध्यम से क्रियान्वित कुल 15 योजनाओं की जाँच की गई । उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) एवं 625/- पर कराया जाना था। इसमें से किसी भी योजना का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ।

नवाटोली:- इस ग्राम में कार्य एजेंसी बाल विकास पदाधिकारी, चान्हों के द्वारा क्रियान्वित कुल 15 योजनाओं की जाँच की गई । उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) एवं 625/- पर कराया जाना था। इसमें से 6 योजना का निमार्ण कार्य नहीं किया गया है ।

चोरा:- इस ग्राम में दीनबन्धु कल्याण समिति संस्था के द्वारा क्रियान्वित कुल 9 योजनाओं की जाँच की गई। उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था । सभी 9 योजना का निर्माण कार्य आधा-अधूरा पाया गया ।

चामा:- इस ग्राम में दीनबन्धु कल्याण समिति संस्था के द्वारा क्रियान्वित कुल 12 योजनाओं की जाँच की गई। उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं

लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था, जिसमें से एक योजना पूर्ण है एवं शेष 11 योजना का निर्माण कार्य आधा-अधूरा पाया गया है ।

चण्डीस्थान:- इस ग्राम में कार्य एजेंसी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह की संस्था के माध्यम से क्रियान्वित कुल 8 योजनाओं की जाँच की गई। उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था । इनमें से 7 योजना का निर्माण कार्य आधा-अधूरा पाया गया एवं एक योजना में कोई निमार्ण कार्य नहीं किया गया है ।

इस प्रकार चान्हों प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत रौल एवं चामा के छः ग्राम/टोला में कुल 77 शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच की गई है, जिसके विरूद्ध 4 योजनाएँ पूर्ण पाई गई, 48 योजना आधा-अधूरा यथा अपूर्ण है एवं 25 योजना में कोई निर्माण कार्य नहीं पाया गया है ।

पंचायत पण्डरी:- पंचायत पण्डरी के ग्राम होन्हे, सिन्दवारटोली, पण्डरी, पंचअम्बा एवं बरटोली कुल पाँच ग्राम/टोलों में शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच अंचल अधिकारी, बुड़मू की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा की गई है, जिसका ग्रामवार ब्योरा निम्नवत् हैः-

होन्हे:- इस ग्राम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के क्रियान्वित कुल 4 योजनाओं की जाँच की गई । उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था । इसमें से दो योजना पूर्ण, एक योजना क्षतिग्रस्त है एवं एक योजना अपूर्ण है ।

इस ग्राम में जोहार संस्था के द्वारा क्रियान्वित कुल 4 योजनाओं की जाँच की गई । उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था। इसमें से एक योजना पूर्ण एवं 3 योजना अपूर्ण है ।

सिन्दवारटोली:- इस ग्राम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा क्रियान्वित एक योजना की जाँच की गई । उक्त योजना का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 1200+300= 1500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था। योजना अपूर्ण है ।

इस ग्राम में जोहार संस्था के द्वारा क्रियान्वित कुल 8 योजनाओं की जाँच की गई । उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था । इसमें से 6 योजना वर्तमान में क्षतिग्रस्त है ।

पंचअम्बा:- इस ग्राम में जोहार संस्था के द्वारा क्रियान्वित कुल 5 योजनाओं की जाँच की गई । उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था । सभी 5 योजना पूर्ण है ।

बरटोली:- इस ग्राम में जोहार संस्था द्वारा क्रियान्वित कुल 3 योजनाओं की जाँच की गई । उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था । इसमें से एक योजना पूर्ण एवं 2 योजना अपूर्ण है ।

पण्डरी:- इस ग्राम में जोहार संस्था के द्वारा क्रियान्वित कुल 5 योजनाओं की जाँच की गई। उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल प्राक्कलन 2200+300= 2500/- (प्रकल्प एवं लाभुक का हिस्सा) पर कराया जाना था । इसमें से 4 योजना पूर्ण एवं एक योजना क्षतिग्रस्त है ।

इस प्रकार चान्हों प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत पण्डरी के पाँच ग्राम/टोलों में कुल 30 शौचालय निर्माण की जाँच की गई है, जिसके विरूद्ध 19 योजनाएँ पूर्ण पाई गई, 7 क्षतिग्रस्त एवं 4 योजना अपूर्ण पाया गया है ।

अभियान के तहत् चान्हों प्रखण्ड में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अन्तर्गत कुल 11 पंचायत के कुल 39 ग्राम/टोला में क्रियान्वित कुल 626 योजनाओं की जाँच की गई, जिसमें से 389 योजनाएँ पूर्ण, 153 योजनाएँ अपूर्ण, 25 योजनाएँ क्षतिग्रस्त एवं 59 योजनाओं का कोई अस्तित्व स्थल पर नहीं पाया गया ।''

श्रीमती शालिनी विजय, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 से 22 जनवरी, 2011 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों के पद पर पदस्थापित रही हैं । इनके द्वारा अपने पदस्थापन काल में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत बिना शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कराये ही फर्जी विपत्र तैयार कर सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं गबन किया गया है । इनके द्वारा भुगतान के पूर्व योजना का निरीक्षण एवं अनुश्रवण नहीं किया गया है । इस प्रकार इनके द्वारा कर्त्तव्यहीनता एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरती गई है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0-6332, दिनांक 19 जून, 2014 द्वारा श्रीमती विजय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं विभागीय संकल्प सं०-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-292/2015, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें मंतव्य दिया गया है कि शौचालय निर्माण योजना के प्राक्कलित राशि आवश्यकता के अनुरूप नहीं थे तथा उन योजनाओं की जाँच योजना कार्यान्वयन के तीन-चार साल बाद करायी गयी है, ऐसी स्थिति में जो योजनाएँ जाँच के दौरान क्षतिग्रस्त अथवा बिना घेरा के पाए गए हैं, उनके संबंध में आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान स्वीकार करने योग्य है। परन्तु जिन स्थलों पर योजनाएँ ही नहीं पायी गयी है, उनके संबंध में आरोपी पदाधिकारी का यह कथन कि इसकी जाँच योजना निर्माण काल के तीन-चार साल बाद की गयी है तथा इस योजना का लाईफ मात्र एक साल का था, स्वीकार करने योग्य नहीं है। आरोपित पदाधिकारी के अनुसार आरोप मुख्यतः स्वयंसेवी संस्थान 'प्रक्लप' एवं कार्यकारी ऐजेंसी आनन्द प्रोडक्शन सेन्टर एवं आनन्द विकास संस्थान द्वारा लक्ष्य से कम शौचालय निर्माण एवं घटिया सामग्री का प्रयोग कर राशि के गबन से संबंधित था। साथ ही, उनका कहना है कि योजना कार्यान्वयन के लिए लाभुक का चयन तथा कार्यवाही ऐजेंसी का चयन आरोपित पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा चयनित प्रखण्ड समन्वयक द्वारा किया गया है । आरोपित पदाधिकारी ने अपने पूर्ववर्ती पदाधिकारी के कार्यकाल में प्रारंभ की गयी 190 योजनाओं के लिए प्रखण्ड समन्वयक के अनुशंसा पर कार्यकारी ऐजेंसी को भुगतान किया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत रोल की कदम टोली की 12 योजनाएँ, जिन्हें जाँच दल के द्वारा कार्य नहीं होने का प्रतिवेदन है, के लिए आरोपित पदाधिकारी की जिम्मेवारी बनती है । संचालन पदाधिकारी

द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित बताया गया है।

श्रीमती विजय के विरूद्ध आरोप, इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उप विकास आयुक्त, राँची के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 26 मई, 2015 के अनुसार ही तंरगा, नवागढ़ एवं हर्रा पंचायत के 22 योजनाओं का कार्यान्वयन आरोपित पदाधिकारी के कार्यकाल में नहीं होने के कारण उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता है । रोल पंचायत के ग्राम कदमटोली की 12 शौचालय निर्माण योजनाओं की जाँच तीन-चार वर्ष बाद करायी गयी, जिसमें इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इनका सही रख-रखाव नहीं होने के कारण नष्ट हो गये हों। इस तथ्य को उपायुक्त, राँची के पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 द्वारा भी सहमति व्यक्त करते हुए श्रीमती विजय के विरूद्ध आरोपों की पुष्टि नहीं होने का मंतव्य दिया गया है। विभागीय कार्यवाही के दौरान ग्राम पंचायत रोल के ग्राम कदम टोली के एक लाभुक, श्री प्रभु उराँव, पिता-श्री दुर्गा उराँव, ग्राम-गुटुवा, कदम टोली द्वारा भी गवाही में स्वीकार किया गया है कि उनके नाम से स्वीकृत शौचालय पूर्ण कराये गये थे। परन्तु इसका उपयोग एक वर्ष तक ही किया गया है । उक्त योजना पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित है, जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा मात्र पर्यवेक्षण करने का कार्य था। प्रखण्ड समन्वयक जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से चयनित थे, के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर नामित स्वयं सेवी संस्था को भुगतान करने का कार्य मात्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का था। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त योजना में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की भूमिका एवं दायित्व आंशिक एवं अप्रत्यक्ष थी।

अतः समीक्षोपरान्त श्रीमती शालिनी विजय, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची को विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत आंशिक रूप में आरोप प्रमाणित होने एवं उपायुक्त/उप विकास आयुक्त द्वारा आरोप से मुक्त करने की अनुशंसा के आलोक में संदेह का लाभ देते हुए आरोप से मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 689 –50 ।